सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 26 फाल्गुन, 1943 (श०) / 17 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 05

(1)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	02
(2)	कृषि विभाग	01
(3)	सहकारिता विभाग	01
(4)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01
	कुल योग --	05

कार्रवाई करना

84. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-33 खजौली)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 नवम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "राज्य में एक दर्जन को छोड़ सभी अंचलों में प्रभारी सी0ओ0" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में एक दर्जन को छोड़कर सभी अंचलों में प्रभारी अंचलाधिकारी कार्यरत हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि राजस्व सेवा नियमावली, 2010 के अनुसार मूल पद का नाम राजस्व अधिकारी कर दिया गया है, जिसके सृजित पद 886 जिसमें से एक-चौथाई राजस्व कर्मचारी को प्रोन्नति से भरने के लिये परीक्षा देनी पड़ती है, परन्तु 11 वर्ष के अन्दर प्रोन्नति के लिये मात्र एक परीक्षा आयोजित की गयी है तथा उक्त परीक्षाओं में जो प्रोन्नत हुये उन्हें राजस्व अधिकारी बनाया गया और उन्हें दो वर्ष की अवधि में ही प्रभारी सी0 ओ0 बना दिया गया है, जिस कारण राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपने अधिकारियों से तेज गति एवं पारदर्शिता के आधार पर कार्यों का निपटारा नहीं कर पा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार तेज गति से कार्यों का निपटारा एवं पारदर्शिता लाने के लिये कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 372(4)/रा0, दिनांक 30 जून, 2015 द्वारा राजस्व कर्मचारी संवर्ग के कर्मियों को राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर नियुक्त किया गया है ।

बिहार राजस्व सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 के अनुसार बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष स्तर के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1597 है । मूल कोटि के कुल स्वीकृत पदों के 25 प्रतिशत पदों को राजस्व कर्मचारी संवर्ग के स्नातक अथवा समकक्ष योग्यताधारी कर्मियों के राज्य स्तर पर गठित उनकी वरीयता सूची से विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है ।

सम्प्रति राज्य सरकार के सभी संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति की कार्रवाई पर रोक के मद्देनजर राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों को प्रभारी अंचल अधिकारी के रुप में पदस्थापित कर कार्य सम्पादित कराया जा रहा है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

जनगणना कराना

85. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव (क्षेत्र संख्या-128 राघोपुर)--क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले सत्र में राज्य सरकार द्वारा सदन में घोषणा की गई थी कि केन्द्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार अपने संसाधन से राज्य में जातिगत जनगणना करायेगी ;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना नहीं कराये जाने की सूचना सदन में दी गई है ;

(3) क्या यह बात सही है कि सदन में हुई इस घोषणा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बजट में जातिगत जनगणना हेतु बजट में राशि का प्रावधान नहीं किया गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में जातिगत जनगणना कराने हेतु बजट में राशि के प्रावधान का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण

86. श्री पवन कुमार जायसवाल (क्षेत्र संख्या-21 ढाका)--क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --

(1) क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय सहकारिता सचिव ने राज्य सरकार को इसी वित्तीय वर्ष में सभी पैक्सों का ऑर्डर पूर्ण करने तथा कम्प्यूटरीकरण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार सभी पैक्सों के बही खातों में गड़बड़ी रोकने, रिकॉर्ड डिजिटाईज करने, पैक्सों से जुड़े सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिये राज्य भर में पैक्सों को कम्प्यूटरीकृत करने पर प्रति पैक्स 4 लाख 35 हजार रुपये खर्च कर रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पूर्वी चम्पारण सहित राज्य के सभी पैक्सों को कम्प्यूटरीकृत करने तथा सभी कार्य को ऑनलाइन कर कबतक गड़बड़ी रोकना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक L-12013/02/2021-I&P, दिनांक 19 अप्रील, 2021 द्वारा चरणबद्ध तरीके से अगले तीन वित्तीय वर्षों में पैक्सों को कम्प्यूटरीकरण करने हेतु भारत सरकार के स्तर से प्रायोजित योजना का प्रारूप प्रेषित करते हुये मंतव्य की माँग की गई है । प्रस्तावित योजनान्तर्गत प्रति पैक्स व्यय 4.37 लाख निर्धारित है । व्यय का 60 प्रतिशत भारत सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य का शेयर निर्धारित है । योजना के संबंध में विभागीय पत्रांक 2515, दिनांक 4 मई, 2021 द्वारा मंतव्य प्रेषित किया जा चुका है ।

(2) उपरोक्त कंडिका (1) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

(3) उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

औचित्य बतलाना

87. श्री ललित कुमार यादव (क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)--स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को प्रकाशित शीर्षक "उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देने से केन्द्र ने नहीं दिये योजना के 395.48 करोड़" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार ने कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन हेतु 2021-22 के लिये 395.48 करोड़ वार्षिक कार्य योजना की राशि निर्गत करने के लिये भारत सरकार को प्रस्तुत की थी, परन्तु बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी की गयी धन राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त राशि को निर्गत करने में भारत सरकार द्वारा असमर्थता जतायी है, यदि हाँ, तो सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देने का क्या औचित्य है ?

राशि की वसूली करना

88. श्री भाई वीरेन्द्र (क्षेत्र संख्या-187 मनेर)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति, बिहार, पटना के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक धान/सी0एम0आर0 की खरीद, मूल्य प्रणाली समर्थन के तहत भारत सरकार से सब्सिडी प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने से 212.50 करोड़ की खाद्य सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई, यदि हाँ, तो ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराने वाले पदाधिकारियों को चिह्नित कर उनसे उक्त सब्सिडी की राशि वसूली करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना अन्तर्गत वर्षवार प्राप्ति योग्य राशि एवं प्राप्त राशि की विवरणी निम्नवत है :--

वित्तीय	विपत्र की राशि	प्राप्त राशि	प्राप्ति योग्य राशि	अभ्युक्ति
2013-14	14.61	14.40	0.21	लेखा अंकेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण भारत सरकार के प्रावधान के अनुसार 5 प्रतिशत की दर से राशि रोक ली जाती है, जिसे सांविधिक अंकेक्षण पूर्ण होने के उपरान्त विमुक्त किया जाता है ।
2014-15	1808.32	1782.06	26.26	
2015-16	3621.30	3566.62	53.82	
2016-17	2801.54	2758.70	42.84	
2017-18	2940.02	2897.61	42.41	
2018-19	2046.81	2001.74	45.07	
Total	13232.6	13021.13	210.61	

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के माह जून, 2020 से अंकेक्षित लेखा तैयार करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाते हुये लेखा तैयार करने एवं उसके सांविधिक अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है । इस क्रम में लेखाओं का अद्यतन स्थिति निम्नवत है:--

(1) वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2019-20 तक का वार्षिक लेखाओं को तैयार कर निगम निदेशक पर्षद से अनुमोदित कराया गया है ।

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 का वार्षिक लेखा तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है ।

(3) वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के लेखाओं का सांविधिक अंकेक्षण एवं सी0ए0जी0 अंकेक्षण का कार्य किया गया है ।

(4) वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 का सांविधिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं तत्संबंधी अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना है ।

(5) वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 का सांविधिक अंकेक्षण का कार्य अंतिम चरण में है ।

अतः निगम के स्तर से लम्बित सांविधिक अंकेक्षण के कार्य को शीघ्र पूर्ण कर भारत सरकार द्वारा रोकी गई राशि विमुक्त करा ली जायेगी ।

पटना :
दिनांक 17 मार्च, 2022 (ई0) ।

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 116(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550